संख्या-146/2021/823/22-2-2021-17(490)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2021*

विषय केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मिन्टू उर्फ सतवीर पुत्र श्री फूलचन्द्र, निवासी जनपद-गाजियाबाद हाल जनपद-हापुड की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मिन्टू उर्फ सतवीर पुत्र श्री फूलचन्द्र, जो मौहल्ला शम्भूपुरा, कस्बा व थाना-कोतवाली हापुड जनपद-गाजियाबाद हाल जनपद-हापुड का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2005 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डेढ़ वर्षीय बच्ची का अपहरण किया गया। दिनांक 15.11.2005 को फिरौती की रकम लेने आने पर पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-113/2006 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0 सं0-2), गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 17.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2020 तक 14 वर्ष 10 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 06 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, हापुड ने बन्दी द्वारा बन्दी के प्रति समाज में रोष व्याप्त होने, कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने एवं बन्दी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बन्दी का स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति संतोषजनक होने एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मिन्टू उर्फ सतवीर (बन्दी संख्या-14661) पुत्र श्री फूलचन्द्र, निवासी जनपद-गाजियाबाद हाल जनपद-हापुड की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-146/2021/823(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हापुड़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in